PM

प्रधानमन्त्री

भारत का प्रधानमन्त्री, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की भाँति समय और संयोग की सन्तान नहीं है। उसका पद संविधान द्वारा उपबन्धित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार "राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा।" भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमन्त्री के पद का विशिष्ट महत्व है। भारतीय PM अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के समान शक्तिशाली है। जब तक उसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसे उसके पद से कोई नहीं हटा सकता है अतः PM के विषय में यह कहना अनुचित न होगा कि वह ही राष्ट्र का कर्णधार और वास्तविक शासक होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार PM की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। किन्तु PM की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतन्त्र नहीं है। संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद हेतु राष्ट्रपति को आमन्त्रित करना पड़ता है। बहुमत दल के नेता को ही परन्तु दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रथम, जब बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता विवादित हो, द्वितीय- जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत दल का नेता प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दे। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में

(2)
राष्ट्रपति स्वविवेक का पालन करते हुए ऐसे व्यक्ति को PM हेतु आमंत्रित कर सकता है, जिसे दलों का मिला-जुला समर्थन प्राप्त होने की आशा है। इसके अलावा बाहर से किसी व्यक्ति की नियुक्ति PM के पद पर भी जा सकती है, परन्तु पद ग्रहण के 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य है अन्यथा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। PM की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का वर्णन :—

PM लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वह सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। वार्षिक बजट तथा अन्य सरकारी विधेयक उसी के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। (2) मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति PM के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किये जाने की व्यवस्था है, परन्तु व्यवहार में मंत्रिपरिषद के गठन में PM ही सर्वशक्ति-सम्पन्न होता है। PM ही निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मन्त्री होंगे। यह सूची राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं।

(3) मन्त्रियों के बीच विभागों का बँटवारा PM ही करता है तथा आवश्यक होने पर बदल भी कर सकता है। (4) PM सभी विभागों पर नियन्त्रण रखता है तथा मन्त्री अपने विभाग से सम्बन्धित सभी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही करता है। (5) PM का एक महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रिपरिषद के समस्त मन्त्रियों को एकता के सूत्र में बाँधना है। विभिन्न मन्त्रियों के मतभेद में PM मध्यस्थता का भी कार्य करता है ताकि शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। (6) PM मन्त्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मन्त्रिपरिषद की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते किन्तु मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से होते हैं। (7) कोई भी मन्त्री PM की इच्छापर्यन्त ही अपने पद पर बना रह सकता है। PM राष्ट्रपति से अनुशंसा करके उस मन्त्री को अपदस्थ करा सकता है।

(8) राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है व्यवहार में वे सभी नियुक्तियाँ PM के द्वारा ही किया जाता है जैसे — उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राजदूत, राज्यपाल, समस्त आयोगों के अध्यक्ष, सभी सेनाओं के सेनापति तथा अन्य उच्च पदाधिकारी।

(9) PM मन्त्रिपरिषद और राष्ट्रपति के अलावे वह राष्ट्रपति को आवश्यक सूचनाएँ भी प्रेषित करता है।

उन्हीं के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं।

→ मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति ~~प्रधानमन्त्री~~ प्रधानमन्त्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, परन्तु व्यवहार में मन्त्रिपरिषद के गठन में प्रधानमन्त्री ही सर्वशक्ति सम्पन्न होता है प्रधानमन्त्री ही निर्णय करता है कि मन्त्रिपरिषद में कितने मन्त्री होंगे। यह सूची राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं।

→ मन्त्रियों के मध्य विभागों का बँटवारा प्रधानमन्त्री ही करता है तथा आवश्यक फेर बदल भी कर सकता है।

→ प्रधानमन्त्री सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है तथा मन्त्री अपने विभाग से सम्बन्धित सभी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही करता है।

→ PM का एक महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रिपरिषद की समस्त ~~मंत्रि~~ मन्त्रियों को एकता के सूत्र में बाँधना है। विभिन्न मन्त्रियों के मतभेद को प्रधानमन्त्री मध्यस्थता का भी कार्य करता है, ताकि शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

→ प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मन्त्रिपरिषद की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से होते हैं।

→ कोई भी मन्त्री प्रधानमन्त्री ~~की~~ के इच्छापर्यन्त ही अपने पद पर बना रह सकता है। PM राष्ट्रपति से अनुशंसा

→ भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र की सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियाँ और सम्मान की व्यवस्था की है जिसे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही प्रदान करता है।

→ प्रधानमन्त्री संसद में देश और विदेशों में सरकार की नीतियों का अधिकृत प्रमुख प्रवक्ता होता है। संसद में परस्पर किन्हीं दो मन्त्रियों के विरोधी वक्तव्यों के कारण उत्पन्न हुए भ्रम एवं विवाद की स्थिति में प्रधानमन्त्री के वक्तव्य से ही समाप्त होती है। वह मार्गदर्शन करता है।

→ भारतीय प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश विभाग प्रधानमन्त्री के अधीन भले ही ना हो फिर भी विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय अन्तिम रूप से प्रधानमन्त्री द्वारा ही लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में PM ही भाग लेता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों को सुलझाने, विदेश से सन्धियाँ और समझौते करने में भी प्रधानमन्त्री भाग लेता है।